



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अवध विहार वृत्त

भू-तल हाल सं०-1, आफिस काम्पलेक्स,
सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
E-mail-circleavadhvihar@upavp.com



पत्र सं०

116

/

Y-12

/ 12

दिनांक 13.01.2025

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑन-लाइन निविदायें भवन एवं सड़क कार्य में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से दिनांक 06.02.2025 के अपरान्ह 03.00 बजे तक ई-टेंडर पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (एन०आई०सी०) की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in>. के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जिसकी तकनीकी बिड उपस्थित निविदा-दाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन अपरान्ह 03.30 बजे खोली जायेगी। आमंत्रित निविदा की तकनीकी/वित्तीय बिड का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ जी०एस०टी०	कार्य पूर्ण करने की अवधि/ बिड	आर०टी०जी०एस०हेतु खाते का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-02बी में 12.00मी० चौड़ी आन्तरिक सड़कों एवं सी-02 टाइप आन्तरिक नालियों का निर्माण कार्य।	बी०ओ० क्यू० के अनुसार	77.49	1.55	3000.00 +18% GST कुल धनराशि= 3540/-	06 माह / दू-बिड	Name of A/C Holder Executive Engineer Construction Division Lucknow-08, UPVP, Anchor shop no-1, 2 & 3 Awadhshilp Gram Awadh Vihar Yojna, Lucknow Account Detail Bank of Baroda, R.S.M. Nagar, Branch, Lucknow Account No. 77290100016067 IFS Code No. BARBOVJRSMN

- अ- निविदा/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर०टी०जी०एस० के यू०टी०आर० की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना होगा।
- ब- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> के निविदा लिंक पर तथा 30प्र० इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in>. पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

निविदादाताओं से सम्बन्धित विवरण

1	ई-निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 14.01.2025	नोट:- निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS/NEFT के माध्यम से उपरोक्त विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
2	निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 21.01.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे तक	
3	निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 21.01.2025 को अपरान्ह 03.30 बजे से दिनांक 05.02.2025 अपरान्ह 03.00 बजे तक	
4	बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 21.01.2025 को अपरान्ह 03.30 बजे से दिनांक 06.02.2025 अपरान्ह 03.00 बजे तक	
5	तकनीकी विड/निविदा प्रपत्र खोलने का स्थान तिथि एवं समय	क्रमांक-01 अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, 30प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। दिनांक 06.02.2025 को अपरान्ह 03.30 बजे	
6	वित्तीय विड खोलने की तिथि समय व स्थान	तकनीकी विड परीक्षणोंपरान्त वेबसाइट http://etender.up.nic.in . पर सूचित की जायेगी।	

सामान्य शर्त:-

- निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ-02 पर

2. 30प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम-24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठन के बाद एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा।
3. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
4. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा।
5. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10% (दस प्रतिशत) जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में क्रमांक-01 के लिये अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, 30प्र0आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
6. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियाँ, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
7. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
- 8अ. निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
- ब. निविदादाता के सभी देयकों से कार्य की लागत पर देय आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- स. कार्य की लागत में जी0एस0टी0 को छोड़कर समस्त कर सम्मिलित है। तदसमय देय जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जायेगा।
9. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
10. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी इस हेतु 1.00 % जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
11. समस्त कार्य 30प्र0लोक निर्माण विभाग/ 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद/30प्र0जल निगम/MORT&H की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करायें जायेंगे।
12. जी0पी0डब्ल्यू0-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
13. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की प्रगति निर्धारित "दिन प्रगति चार्ट" के अनुसार होनी चाहिए।
14. ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थाई धरोहर धनराशि (जनरल सिक्वोरिटी) एवं कुल धरोहर धनराशि के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में जमा करनी होगी। पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को वाँछित धरोहर धनराशि खाता में जमा होने की पुष्टि होने के उपरान्त ही निविदा पर विचार-विमर्श किया जायेगा।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
16. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर (Below) माना जायेगा।
17. शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार निविदा की दर बी0ओ0क्यू0 से Below देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी शिल्ड्यूल्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
- (क) 10% Below दर तक प्रति 1.00% कम (Below) दर पर 0.50 प्रतिशत।
- (ख) 10% से अधिक Below दर होने पर प्रति 1.00% कम (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत।
18. फर्म द्वारा सूचित की गयी स्वामित्व वाली टी0एण्डपी0 के नवीनतम पंजीकरण प्रपत्र भी सूची के साथ उपलब्ध कराया जाना वाँछित है एवं सम्बन्धित कार्य हेतु वाँछित प्लान्ट लखनऊ के क्षेत्र में स्थापित होना अनिवार्य है।
19. क्रमांक 01 पर अंकित कार्य हेतु निविदा प्रपत्र के साथ टी0-4(चरित्र प्रमाण-पत्र) एवं टी0-5(हैसियत प्रमाण-पत्र) का वैध प्रमाण पत्र लोड करना अनिवार्य है।

20. कार्य हेतु फर्म द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर एफिडेविट के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार ही लिक्विड एसेट की गणना प्रभावी मानी जायेगी।
21. एन0जी0टी0 सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
22. फर्म को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
24. क्रमांक-01 पर अंकित कार्य हेतु स्वयं का हाट मिक्स प्लान्ट, फ्रन्ट इन्ड लोडर, सेन्सर पेवर फिनिशर, रोलर (वाँछित क्षमता), टिपर, जनरेटर सेट (वाँछित क्षमता), मोटर ग्रेडर तथा सड़क निर्माण सम्बन्धी अन्य टी0 एण्ड का फर्म/ठेकेदार के नाम सेस्वामित्व होना आवश्यक है तथा सड़क/भवन के निर्माण कार्य का अनुभव रखना अनिवार्य है। सड़क कार्य हेतु हाँट मिक्स प्लान्ट से स्थल जहां सड़क की सतह का निर्माण किया जाना है, की अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर निर्धारित का जाती है, उसके लिये प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सतह निर्माण स्थल (Laying Site) पर तारकोल व बजरी के मिश्रण का तापमान इन्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों में दर्शायी गई सीमा से कम नहीं होगा।
25. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(पी0के0वर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता

पू0सं0 116 / 3क्ट / 12 तददिनांक 13.01.2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त/लखनऊ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता(तक0), अवध विहार वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता